न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला–भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :–महीपाल सिंह, आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या :– 34 / 2021 प्रा.पत्र

श्री सायरी w/o जैना गुर्जर नि० खाखला तह० देवगढ़-राजसमन्द

—प्रार्थी।

बनाम

1–श्री मेनु s/o हीरा गुर्जर नि० चिताम्बा तह० करेड़ा - भी०

—विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: **निर्णय** :: दिनांकः 6/4/21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0 भू0 राज0 अधि01956 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कांगेसों का खेड़ा पटवार हल्का गोवर्धनपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र चिताम्बा के खाता संख्या 159 की आ0नं0 1405/24 0.2529, 1407/24 0.2529 / 1409/24 0.2529 / कुल किता 3 रकबा 0.7587 हैक्टर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य ी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। ं प्रार्थीगण अपने खाते/संयुक्त खातें की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 29/01/21 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण वलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से ाढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की ेरी होने का अदेंशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों खते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: **आदेश**::

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया ग्राम कांगेसों का खेड़ा पटवार हल्का गोवर्धनपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र चिताम्बा में उनके खाता 159 की आ0नं0 1405/24 0.2529 / 1407/24 0.2529 / 1409/24 0.2529 / कुल किता 3 रकबा 0.7587 हैक्टर भूमि स्थित है। भूमि के चारों तरफ सीमा की जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू.अ.नि0 चिताम्बा को 500/–/– रुपये र. फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। र फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये ल बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फ... होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

:–प्रार्थना पत्र प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.21 10:42:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

पे :– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा